POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 27.11.2024

1. अपराध शाखा एवं थाना सेक्टर-63 पुलिस के संयुक्त प्रयास से जमीन दिखाकर उसके फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर करोड़ो रूपये की धोखाधडी करने वाला 10 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 06.12.2023 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्त सचिन भाटी पुत्र श्री बीएस भाटी आदि 16 अभियुक्त द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के साथियो को विश्वास मे लेकर जेवर एयर पोर्ट के पास जमीन दिखाकर धोखाधडी कर जमीन के फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर देना व बाद मे न तो जमीन देना और न ही पैसे वापस देना तथा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सैक्टर-63, नोएडा पर मु0अ0सं0 569/2023 धारा 420/406/467/468/471/120बी/506/34 भादवि बनाम सचिन भाटी आदि 16 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **27.11.2024** को **अपराध शाखा** एवं **थाना सेक्टर-63**, नोएडा पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आए एवं लंबे समय से फरार/वांछित चल रहे 10 हजार रुपए के पुरस्कार घोषित अभियुक्त जावेद उर्फ जाविद को दुर्गा चौक सूरजपुर से **गिरफ्तार** किया गया।

अभियुक्त जावेद उर्फ जाविद उपरोक्त काफी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त सेंट्रल नोएडा/अपराध कमिश्नरेट गौतमबुधनगर द्वारा 10 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था

अपराध करने का तरीका-- गिरफ्तार अभियुक्त जावेद उर्फ जाविद उपरोक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जेवर एयर पोर्ट के पास जमीन दिखाकर वादी व उसके साथियों को विश्वास में लिया गया तथा धोखाधडी करते हुए फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर करोडों रूपयों की धोखाधडी की गयी है।

इसी क्रम में उक्त मुकदमें में नामजद एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आए कुल 19 अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई की जा चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. जावेद उर्फ जाविद पुत्र इकबाल नि0 ग्राम महेंदीपुर थाना रबुपुरा, जिला गौतमबुद्धनगर (उम्र 34 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 569/2023 धारा 420/406/467/468/471/120बी/506/34 भादवि थाना सेक्टर-63, नोएडा

2. थाना फेस 1 पुलिस द्वारा अपहरण करके हत्या का प्रयास करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृत बालक सकुशल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस-1 पुलिस द्वारा अपहरण करके हत्या का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त धीरज पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना मेहंदिया जिला अरवल विहार उम्र लगभग 22 वर्ष को हरौला पार्क के पास से दिनांक **27.11.24** को **गिरफ्तार** किया गया है। अपहृत बालक को सकुशल बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना फेस-1 नोएडा पर मु0अ0स0 525/24 धारा 137(2)/109/140(1) बी.एन.एस. पूर्व से पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि आज से करीब 2 महीने पहले शराब पीने के दौरान पैसो के लेन देन को लेकर विवाद होने तथा अंगद की पत्नी को गाली देने पर अंगद ने अभियुक्त की पिटाई करते हुए बेईज्जत कर अपने घर से भगा दिया था। तब से अभियुक्त धीरज के मन में अंगद से बदला लेने का भाव था। इसी बीच अंगद अपने गांव से लौट कर वापस हरौला आया तो उसने अभियुक्त को बताया कि गांव में उसकी पत्नी के पूर्व पति प्रेम पुत्र जुगेश तांती जो अपहृत बालक का असली पिता है के परिजनों ने अपहृत बालक को अंगद से लेने की मांग रखी जिस पर अंगद ने मना किया तो अपहृत बालक के असली पिता व उसके परिजनों ने कहा कि अगर तुम हमें नहीं दोगे तो हम इसको कोर्ट से ले लेंगे। अंगद ने यह बात अभियुक्त को बताते हुए कहा था कि मैं अपने बच्चे को वापस नहीं दूंगा तो इस बात से अंगद व अंगद की पत्नी दोनों परेशान थे तो अभियुक्त धीरज ने सोचा कि यदि मैं अपहृत बालक को मार देता हूं तो अपहृत बालक के असली पिता प्रेम, अंगद व उसकी पत्नी पर मुकदमा लिखाएगा जिसमें अंगद जेल चला जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अपनी सोच के मुताबिक दिनांक 17.11.2024 को मौका पाकर अंगद व उसकी पत्नी के काम पर चले जाने के बाद अभियुक्त ने अपहृत बालक को अकेला पाकर उसे खाने के कुरकुरे दिलाकर घूमाने के बहाने बहला फुसला कर उसे हरौला से नोएडा

मोड़ व नोएडा मोड़ से आनंद विहार व आनंद विहार से जीटीबी होते हुए गगन सिनेमा से हिंडन एयरफोर्स गाजियाबाद से आगे नागगेट के पास झाड़ियों में ले गया तथा अभियुक्त ने गला दबाकर तथा एक हाथ से उसका मुंह दबाकर अपहृत बालक की हत्या कर मरा समझने के बाद वहीं छोड़कर चला आया। अभियुक्त जब वापस आया तब तक अंगद अपने बच्चे अपहृत बालक के खोने की सूचना पुलिस को दे चुका था और सभी लोग तलाश कर रहे थे। अभियुक्त भी बच्चे को तलाषने में शामिल हो गया और बच्चे की तलाश करता रहा। अभियुक्त अंगद के साथ तीन-चार दिन अपना काम छोड़कर तलाश में लगा रहा फिर अभियुक्त को लगा की पुलिस में रिपोर्ट हुई है कहीं पुलिस सही जानकारी न कर ले तो अभियुक्त अंगद का साथ छोड़कर अपने काम के बहाने इधर-उधर छुप कर रहने लगा था। अभियुक्त के पकड़े जाने के बाद अभियुक्त धीरज के बताए स्थान के आस पास झाड़ियों में काफी तलाश की गई लेकिन वहां अपहृत बालक की कोई जानकारी नहीं मिली, परंतु धीरज बार-बार यही कहता रहा की मैंने अपहृत बालक को यहीं मारकर छोड़ दिया था। इसके बाद झाड़ियों से बाहर दूसरी तरफ सड़क के किनारे बने मकानों में जानकारी की गई तो कुछ लोगों ने बताया कि करीब 8- 9 दिन पहले सुबह के समय एक बालक उम्र करीब 6- 7 वर्ष रोता हुआ मिला था जिसे साहिबाबाद थाने की पुलिस लेकर गई थी पुलिस बल द्वारा अभियुक्त धीरज के थाना साहिबाबाद पहुंचे जहां पर पुलिस के पास उपलब्ध फोटो को दिखाकर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि यह बालक दिनांक 18.11.2024 को मिला था जिसने अपना नाम (अपहृत बालक) पुत्र अंगद बताया था लेकिन निवास स्थान नहीं बता पा रहा था आसपास दिखाने के बाद पता नहीं चल सका जिस पर उक्त अपहृत बालक को पुलिस द्वारा मेडिकल कराने के बाद सीडब्ल्यूसी गाजियाबाद में पेश कर घरौंदा बाल आश्रम गोविंदपुरम गाजियाबाद में दाखिल किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. धीरज पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना मेहंदिया जिला अरवल विहार उम्र लगभग 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 525/24 धारा 137(2)/109/140(1) बी.एन.एस. थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर